



बिहार राज्य भंडार निगम

बी-२, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-१

का.आ.सं.: Acct/79/ Appointment of C.A./Firm/...म्म. भ० नि०, पटना दिनांक ...२५.८.२१

अल्पकालीन आवेदन-सह-कोटेशन आमंत्रण सूचना

विहार राज्य भंडार निगम, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम का संयुक्त सरकारी उपक्रम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा संधारण कार्य (Account Compilation) हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट/फर्म की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक सी.ए./फर्म अपना मुहरबंद आवेदन-सह-कोटेशन विहित प्रपत्र में संलग्न कर कार्यालय कार्य अवधि में दिनांक 29.08.2024 से दिनांक 20.09.2024 तक विहार राज्य भंडार निगम, वी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना-01 में समर्पित कर सकते हैं। आवेदन-सह-कोटेशन में अपना Bio-data, अनुभव एवं कार्य करने हेतु अपना दर अंकित करेंगे।

लेखा संधारण कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है:-

- 1) अप्रैल-24 से 31 मार्च-2025 तक निगम के वित्तीय कार्य यथा प्राप्ति एवं व्यय का प्रतिदिन इंदराज टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से डे-बुक, लेजर तैयार कर लेखा संधारण करना।
 - 2) Tally Software में सभी भंडारगृहों का Sync हुए विपत्रों का Reconciliation करना।
 - 3) सभी बैंक का मासिक Bank Reconciliation तैयार करना।
 - 4) सभी भंडारगृहों के लेखा का Reconciliation तैयार करना।
 - 5) Money Transit, Debitor, Creditor एवं अन्य सम्पत्ति का दायित्व लेखाओं को तैयार कर मिलानी करते रहना।
 - 6) इसके अतिरिक्त अन्य वांछित लेखा कार्य एवं प्रतिवेदन समर्पित करना।
 - 7) Balance Sheet, P/L Account & Notes to Accounts तैयार करना होगा। वार्षिक खाता जाई-25 अन्त तक पूर्ण रूपेण तैयार कर समर्पित करना होगा। आंतरिक अंकेक्षण, सांविधिक अंकेक्षण एवं ०००५० अंकेक्षण क्रम में पाये गये लेखा प्रविष्टी में हुए त्रुटि का सुधार कर Balance Sheet समर्पित करना होगा।

उपर्युक्त सभी कार्य दैनिक व्यवस्था के अतंगत किया जाएगा। सूचना वेबसाईट संख्या www.bswe.co.in पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बिहार राज्य भंडार निगम, बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना-01 से सम्पर्क कर सकते हैं।

सामान्य निर्देशः-

- 1) निगम का वर्ष 2024-25 का लेखा प्रतिवेदन स-समय समर्पित करना होगा।
 - 2) केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सरकारी निकायों में कार्य किये आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - 3) किसी भी आवेदन को बिना कोई सूचना दिये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
 - 4) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, पटना होगा।

ज्ञापांक ३५५...../भं.नि., पटना

दिनांक 28.8.26

प्रतिलिपि: (1) सूचना पट्ट एवं वेबसाईट मुख्यालय, पटना।

(2) श्री लोकेश कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्राम कोर्डिनेटर, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपिता।

प्रबन्धनदर्शक